

जम्मू-कश्मीर विस चुनावः विमर्श के विषय

3 स जमाने की बात याद है, जब प्रत्येक राष्ट्रीय कानून, प्रस्ताव, प्रावधान आदि पर लिखा जाता था (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) लेकिन अब देश में वैसा नहीं होता। जम्म कश्मीर अब शेष भारत के नवनिर्माण में सहयोग दे रहा है। आज का कश्मीर नये भारत का नया कश्मीर है। जिस कश्मीर में दशकों तक ऐसा आतंकी वातावरण रहा कि वहाँ भारतीय भी जाने की कल्पना नहीं करते थे, उस कश्मीर में मोदी सरकार ने जी-20 का सम्मेलन करवा दिया, यही नया कश्मीर है। अनुच्छेद 370 को इस प्रदेश की नियति मानने और बताने वाले लोग बस्तुतः बदनियत लोग थे, वे अब मुख्यधारा से बाहर हैं। कांग्रेस ने भी फारूख अब्दुल्ला और उसके अन्य प्रिय कश्मीरी अलगाववादियों, उग्रवादियों व आतंकवादियों के साथ चलते हुए अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया था। अनुच्छेद 370 के उम्मूलन के बाद बना था- गुपकार गठबंधन। गुपकार गठबंधन चाहता है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में पुनर्स्थापित हो। अनुच्छेद 370 के संदर्भ में आज कांग्रेस की स्थिति साँप-छाउन्दर जैसी है। कश्मीर में वह अलगाववादियों, उग्रवादियों, आतंकियों, देश विरोधियों के साथ खड़े होकर 370 की पक्षधर दिखती है। यही कांग्रेस शेष भारत में अपनी इस केंचुली को उतार कर अनुच्छेद 370 के विषय में दोहरे चरित्र की बात करती है। जब समूचा भारत अनुच्छेद 370 के उम्मूलन को लेकर प्रसन्न हो रहा था तब कांग्रेस देश की इस प्रसन्नता से अलग मुँह फुलाए बैठी थी। कांग्रेसी अभियेक संघवी ने तब कहा था 'प्रथम दृष्टा, हम 370 को निरस्त करने के तरीकों पर निर्णय से असहमत हैं'। 6 अगस्त, 2019 को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने लेकर मोदी सरकार पर हमला किया था। इस बैठक में उसने 370 का समान करते रहने का प्रस्ताव पारित किया था। ऐसा विरोध भला 'देश विरोध' नहीं तो और क्या था? शेष राष्ट्र के सामने कांग्रेस अपने दोहरे चरित्र पर बड़ी बेशर्मी से स्वयं को 'गुपकार गैंग' से अलग बताती है। यही कांग्रेस अनुच्छेद 370 हटाने के ठीक एक दिन पूर्व फारूख अब्दुल्ला के निवास पर पीड़ीपी सहित कई अन्य के साथ अनुच्छेद 370 के पक्ष में संयुक्त व्यक्तव्य जारी कर रही थी। यही कांग्रेस, अनुच्छेद 370 के हटाने के एक वर्ष बाद भी कश्मीर में पुनः गुपकार रोड पर इनके साथ खड़ी दिखाई देती है। कांग्रेस, अब्दुल्ला और पीड़ीपी वाले इस अलगाववादी गठबंधन ने एक वर्ष बाद भी यह कहा था कि- 'अनुच्छेद 370 और 35 को पुनर्स्थापित करने के लिए



लिए भर्ती अभियान चलाया गया है। मोदी सरकार ने कश्मीर में हिमायत योजना से लगभग नब्बे हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पचास नये महाविद्यालय प्रारंभ किए हैं, जिसमें लगभग सात हजार कश्मीरी छात्र नये कश्मीर का भाग्य लिख रहे हैं। सात मेडिकल कॉलेज व पाँच नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं। आईआईटी जम्मू को अपना कैंपस और एम्स की भेट मिली है। अटल टनल प्रारंभ होने के साथ चिनाब पर विश्व का सबसे ऊंचा 467 मीटर का पुल अब कश्मीर को वैश्विक नक्शे पर आतंकग्रस्त नहीं अपितु एक विकसित प्रदेश के रूप में दिखाता है। कश्मीर में आज ऐसी कई नई योजनाएँ प्रारंभ हो रही हैं।

एक समय था जब कश्मीर के जंगल उजाड़ कर देशभर में बनने वाली पैसिल की लकड़ी पुलवामा से जाती थी। अज मोदी सरकार की कल्पनाशीलता से पुलवामा का उक्खुँ गाँव देशभर की पैसिल खपत की नब्बे प्रतिशत पैसिल और बड़ी मात्रा में क्रिकेट बैट सप्लाई करके अपने उत्पाद का उच्चतम मूल्य प्राप्त कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए वह अपने अमूल्य देवदार के वृक्षों को नहीं काट कर पर्यावरण सुरक्षा भी कर रहा है। पहले कश्मीर से पैसिल की लकड़ी जाती थी, अब वैल्यू एडिशन के साथ पैसिल जाती है और स्थानीय बहुमूल्य लकड़ी भी नहीं काटी जा रही है। कश्मीर में दस वर्षों बाद होने जा रहे विस चुनाव में भाजपा का स्पष्ट कहना है कि वह कश्मीर को रोहिंग्या और बांग्लादेशी धुसपैठियों से मुक्त दिलायेगी और कश्मीर की कश्मीरियत स्थापित रखेगी। जम्मू व श्रीनगर में मेट्रो रेल प्रारंभ होगी। किसानों का बिजली बिल आधा ही लिया जाएगा। सौ हिंदू मर्दियों का पुनर्निर्माण करके कश्मीरी संस्कृति को सुरक्षित किया जाएगा। भाजपा प्रत्येक कश्मीरी महिला को 18 हजार रुपये प्रतिवर्ष व प्रति वर्ष दो गैस सिलेंडर भी निःशुल्क देगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को एक से तीन हजार रुपये कर दिया जाएगा।

कश्मीर में 05 अगस्त 2019 के पश्चात जो नया अध्याय प्रारंभ हुआ था उसने लगभग तीन वर्षों का कोरोना कालखंड का दंश भी झेला है। कोरोना के बाद भी कश्मीरी पर्वटन आज सफलता के नये आवाम छू रहा है तो इसके पीछे दिल्ली और श्रीनगर में स्थापित नये शक्ति-सूत्र ही कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में कश्मीर की जनता दिल्ली को और अधिक मजबूती से पकड़ेगी और नये दुरु का आरंभ करेगी।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

संपादकीय

कानून रैंदती सरकारें

अपराध में शामिल होना, किसी की संपत्ति को ढहने का आधार नहीं हो सकता, बुलडोजर से देश का कानून रौदा जा रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के खेड़ा जिले के एक परिवार की अपने घर पर बुलडोजर कार्रवाई की धमकी के खिलाफ याचिका दायर पर सुनवाईकर रहा था। तीन जजों की बेंच ने कहा कि एक सदस्य द्वारा कथित अपराध के लिए पूरे परिवार का घर गिरा कर दिँदित नहीं किया जा सकता। पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी ने अपराध किया है या नहीं, यह सिर्फ अदालत ही तय कर सकती है। अदालत ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से चार हफ्तों में जवाब भी मांगा है। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की बात की थी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एकशन की उप्र की योगी सरकार ने कोई थी। देखा-देखी मप्र, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य भी यहीं तरीका इन्हियार करने लगे। किसी भी दोषी पर आरोप सिद्ध हुए बगैर सरकार ऐसा कोई कदम उठाने को स्वतंत्र नहीं है। बावजूद इसके विवादित मामलों, अपराधियों और राजनीतिक लाभ के लोभ में राज्य सरकारें अपनी ताकत दर्शाने के लिए लगातार कानून की अवमानना कर रही हैं। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता, तब तक किसी तरह का निर्णय थोपा जाना अनुचित है। कानूनी तौर पर निर्मित इमारत पूरे परिवार या कुनबे के किसी अन्य सदस्य के नाम होने पर भी उसे यूं ढहाया जाना न्यायेचित नहीं हो सकता। जैसा कि पीठ ने कहा, अपराध तय करना अदालत का काम है। इसमें अति उत्साह में सरकार का बिला-वजह हस्तक्षेप कानून को हाथ में लेना है जबकि शहरों-महानगरों में व्यस्त बाजारों, मंहगे इलाकों व आबादी के बीच होने वाले अतिक्रमणों से जनता आजिज आ चुकी है। उन पर बुलडोजर चलाने या उन्हें ढहाने की कोई बात नहीं की जाती। अपराधियों और माफिया पर नकेल कसने के अन्य तरीकों पर सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। सजा सिर्फ अपराधी को ही मिले। उसके समूचे परिवार को बेघर कर सड़क पर ला देना न्यायेचित नहीं है।

चिंतन-मनन

प्रधानता आत्मा को

मनुष्य सामान्यतः जो बाह्य में देखता, सुनता, समझता है वह यथार्थ ज्ञान नहीं होता। किन्तु भ्रमवश उसी को यथार्थ ज्ञान मान लेता है। अवास्तविक ज्ञान को ही ज्ञान समझकर और उसके अनुसार अपने कार्य करने के कारण मनुष्य अपने मूल उद्देश्य सुख-शान्ति की दिशा में अग्रसर न होकर विपरीत दिशा में चल पड़ता है। यथार्थ ज्ञान की अनुभावक मनुष्य की अंतरात्मा ही है। शुद्ध, बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उसको अज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्यापसकता। परमात्मा का अंश होने से वह उसी तरह स्त, चित् एवं आनंद है, जिस प्रकार परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थिति संभव नहीं है उसी प्रकार उसके अंश आत्मा में भी असत्य का प्रवेश सम्भव नहीं। मनुष्य की अंतरात्मा जो कुछ देखती, सुनती और समझती है, वही सत्य और यथार्थ ज्ञान है। अंतरात्मा से अनुशासित मनुष्य ही सत्य के दर्शन तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक-संतापों का स्वतः समाधान हो जाता है। अंतरात्मा की बात सुनना और मानना ही उसका अनुशासन है। मनुष्य की अन्तरात्मा बोलती है, किन्तु उसकी वाणी सूक्ष्मातिसूक्ष्म होती है, जिसे बाह्य एवं स्थूल श्रवणों से नहीं सुना जा सकता। मनुष्य की अन्तरात्मा बोलती है किन्तु मौन विचार स्फुरण की भाषा में, जिसे मनुष्य अपनी कोलाहलपूर्ण मानसिक स्थिति में नहीं सुन सकता। अन्तरात्मा की वाणी सुनने के लिए जरूरी है मनुष्य का मानसिक कोलाहल बन्द हो। अन्तरात्मा का सान्निध्य मनुष्य को उसकी आवाज सुनने योग्य बना देता है। यों मनुष्य की अन्तरात्मा उसमें ओतप्रोत है, पर उसका सच्चा सान्निध्य पाने के लिए उसे जानना आवश्यक है। परिचयीहीन निकटता भी एक दूरी होती है। रेलयात्रा में कन्धे से कक्ष्या मिलाये बैठे दो अदामी अपरिचित होने के कारण समीप होने पर भी एक-दूसरे से दूर होते हैं। अजनबी छोड़िए, जिन्दगी भर एक दूसरे के साथ रहने पर भी अन्तरिक परिचय के अभाव में कई लोग एक-दूसरे से दूर ही रहते हैं। अन्तरात्मा जानने का एक ही उपाय है कि उसके विषय में सदा जिज्ञासु तथा सचेत रहा जाए। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है, वह उसके विषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही उसे पा लेता है। आत्मा के विषय में अधिक से अधिकजिज्ञासु एवं सचेत रहिए।

प शिम बंगाल का आरजी कर प्रकरण भले आज उबाल ले रहा हो पर 2012 के निर्भया कांड के बाद हुई सख्ती के बावजूद ऐसी घटनाओं का बंद होना तो दूर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम नहीं हो रहे। जैसे कठोर सजा प्रावधान भी बेअसर हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध वाले प्रकरणों का न्यायालयों में निस्तारण भी तेजी से हो रहा है। करीब 90 प्रतिशत तक प्रकरणों का न्यायालयों से निस्तारण किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ समय ऊजरते ही देश में कहीं ना कहीं निर्भया जैसे नृशंस कांड हो रहे हैं जो देश को हिलाकर रख देते हैं।


कोलकता आरजी कर अस्पताल में रेप व हत्या की घटना के बाद जिस तरह देशव्यापी माहौल बना, उसके चलते पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिमी बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधानसभा से पारित हो गया। सवाल यह नहीं है कि कानून कितना सख्त बनाया गया है। सवाल यह भी नहीं है कि कानून में किस तरह से जांच से लेकर सजा तक की समय सीमा तय की गई है। सवाल यह है कि 2012 में निर्भया कांड के बाद जिस तरह से कानून में बदलाव कर सख्ती के प्रावधान किये गये, जिस तरह से पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की बात हुई और जिस तरह से देश में तरित न्याय के



लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालतें और पाक्सो अदालतें बनाई गईं उसके बाद भी हालात में बदलाव क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं।
दिसंबर 2012 में निर्भया कांड को लेकर जिस तरह

माध्यम से 16-18 साल के दोषियों को भी केरियायत नहीं देने के प्रावधान किये गये और 2019-20 में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन और 389 पॉक्सों कोर्टों के गठन के बावजूद अपराधियों किसी तरह भय का वातावरण नहीं बना है। उज्जैन-अयोध्या और इसके बाद आरजी कर प्रकरण से साह हो गया है कि भले ही अब ममता सरकार ने नए अधिनियम पारित करा लिया हो पर तस्वीर का ए

विश्व ओजोन दिवसः चिंता का सबब बनता ओजोन परत का क्षरण



दिग्गी वृद्धि की स्थितियों का आकलन किए जाने के बाद से इसे डेढ़ डिग्री तक सीमित रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसके लिए दुनियाभर के देशों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के नए लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा की जा रही है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता में 35 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है किन्तु जी-20 देशों पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की समीक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट में कुछ समय पहले कहा गया था कि भारत सहित जी-20 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे तापमान वृद्धि को डेढ़ डिग्री तक सीमित करने के दृष्टिगत पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए इन देशों को अपने उत्सर्जन को आधा करना होगा। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई थी कि जी-20 देशों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम नहीं हो रही है, जहाँ अभी भी करीब 82 फीसदी जीवाश्म ईंधन ही इस्तेमाल हो रहा है और चिंताजनक बात यह मानी गई थी कि कुछ देशों में जीवाश्म ईंधन पर संबंधित भी दो जा रही है। भारत ने हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2027 तक 47 फीसदी रखा है और 2030 तक सौ

फीसदी इलैक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का भी लक्ष्य है हालांकि नवयन ऊर्जा के इन लक्ष्यों के लिए रिपोर्ट भारत की सग़हना भी की गई थी। विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में आज जलवायु परिवर्तन के चलते विनाश का जो दौर देखा जा रहा है, उसके लिए काफी हद तक ओजोन परत की कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार है और हमें अब यह भी भली-भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी लापरवाही और पर्यावरण बड़े पैमाने पर खिलवाड़ ही पर्यावरण विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। कुछ समय पूर्व एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते दुनियाभर में करोड़ 12 करोड़ लोग विस्थापित होंगे औंजोन परत के सुरक्षित न होने से मनुष्यों, पशुओं औं यहां तक की वनस्पतियों के जीवन पर भी बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। यही नहीं, अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और पानी के नीचे का जीवन भी नहीं बचेगा। हिन्दू अकादमी दिल्ली के सौजन्य से पर्यावरण पर छात्र चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांस्कृ' के मुताबिक ओजोन परत की कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, सर्दियों अनियमित रूप से आती हैं, हिमखण्ड गलना शुरू हो जाते हैं और सर्दी की तुलना में गर्मी अधिक पड़ती है।

पर्यावरण का यही हाल पिछले कुछ वर्षों से हम देख और भूगत भी रहे हैं। दरअसल ओजोन परत में कमी और मौटे होते जा रहे छिद्र के कारण पृथ्वी तक पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे स्वास्थ्य तथा परिस्थितिकी तंत्र पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ओजोन परत की कमी से हमारे स्वास्थ्य के लिए

गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। ओजोन परत वातावरण में बनती है। जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन परमाणुओं को तोड़ती हैं और ये परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो ओजोन अणु बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20-30 किमी की ऊँचाई पर वायुमण्डल के समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झींगा सा आवरण है। यह परत पर्यावरण की रक्षक मानी गई है क्योंकि यही वह परत है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारे ऊपर के वातावरण में विभिन्न परतें शामिल हैं, जिनमें एक परत स्ट्रैटोस्फियर है, जिसे ओजोन परत भी कहा जाता है। ओजोन गैस प्राकृतिक रूप से बनती है। निचले वातावरण में पृथ्वी के निकट ओजोन की उपस्थिति प्रदूषण बढ़ाने वाली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लेकिन ऊपरी वायुमण्डल में ओजोन परत की उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। जब सूर्य की किरणें वायुमण्डल में ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन से टकराती हैं तो उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण इसका कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर के रूप में कार्य करती है। सूर्य विकिरण के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों का लगभग 99 फीसदी भाग ओजोन मंडल द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी एवं वनस्पति सूर्य के तेज ताप और विकिरण से सुरक्षित हैं और इसी कारण ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। यही कारण है कि प्रायः कहा जाता है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

